–: कमेटी रिपोर्ट :–

श्री गुरजीत सिंह चड्डा व श्री इन्द्रजीत सिंह चड्डा पुत्रगण श्री हरभजन सिंह चड्डा, श्री हरभजन सिंह चड्डा पुत्र श्री गुरूवचन सिंह चड्डा एवं श्रीमति जसवीर कौर पत्नी श्री हरभजन सिंह चड्ढा निवासी–455,सिविल लाईन्स शहर,थाना सिविल लाईन,तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा मैसर्स अखिलेश कॉमप्लेक्स(मल्टीप्लैक्स)व्यवसायिक भवन प्लाट/खसरा नं0 मौहल्ला मानपुर नरायनपुर अलमारूफ आर्यनगर,(स्टेशन रोड बुद्धबाजार)तहसील व जिला मुरादाबाद(उ0प्र0)पर प्रस्तावित मानचित्र पत्रावली संख्या–बी0एफ0/कोतवाली/वी0सी0/20/2019–20की ऑन लाईन मानचित्र संख्या (MAP20190515145416620)में प्रस्तावित मिक्सड ऑक्यूपेन्सी/शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय/फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन के निर्माण हेतु उ0प्र0शासन गृह(पुलिस) अनुभाग–8 के पत्र संख्या: 1821/छ:–पु0–8–08–65(रिट)/06 दिनांक: 25–07–2008 व अपर पुलिस महानिदेशक,फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस–1076/2012 दिनांक: 05–10–2012 एवं प्रमुख सचिव गृह,उ0प्र0 शासन(गृह पुलिस अनुभाग–8) शासनादेश संख्या:–1765/छ:–पु0–8–2017–905(34)/2016 दिनांक: 16.02.2018 के अनुपालन में मल्टीप्लैक्स एवं मेगा शापिंग काम्प्लैक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण प्रत्र जारी करने हेतु कमेटी :–

सन्दर्भ: यू0आई0डी0 संख्या: UPFS/2019/10130/MRB/MORADABAD/107/JD

1–**श्री अरविन्द कुमार** :– संयुक्त निदेशक,फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।

2–**श्री अमन शर्मा** :– उपनिदेशक,फायर सर्विस, मेरठ/मुरादाबाद परिक्षेत्र।

3–**संयोजक,अधिकारी श्री मुकेश कुमार** :– मुख्य अग्निशमन अधिकारी,मुरादाबाद।

4–**सदस्य,श्री शत्रुघन सिंह** :–अग्निशमन अधिकारी हैलेट रोड़,मुरादाबाद।

5–**सदस्य,वास्तुविद** :– मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के नामित सदस्य।

उपरोक्त प्रकरण पर विचार कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 22.08.2019 को 12:00 बजे जिलाधिकारी कार्यालय मुरादाबाद पर समिति की बैठक आयोजित की गयी। समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ0प्र0अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली–2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :–

भवन की संरचना :–कुल प्लाट एरिया– 2701.91 वर्गमीटर है,जिसमें प्रस्तावित भवन के तलों का फ्लोरवाईज एरिया विवरण निम्नवत है :–

क्र0स0	तलों का विवरण	प्रस्तावित कवर्ड एरिया वर्गमीटर	अधिभोग विवरण
1–	स्टिल्ट फ्लोर	1249.44	पार्किंग
2–	अपर ग्राउण्ड फ्लोर	1249.44	रिटेल शॉप्स/हाल
3–	प्रथम तल	1249.44	रिटेल शॉप्स/हाल
4–	द्वितीय तल	1041.40	सिंगल सिनेमा/फूड कोर्ट/केन्टीन/रेस्टोरेन्ट/स्टोर
5–	तृतीय तल	512.60	प्रोजेक्टर रूम/हाल/किचन
6–	अपर वेसमेण्ट–1	1209.36	पार्किंग
7–	लोअर वेसमेण्ट–2	1209.36	पार्किंग
	भवन की ऊचॉई :– **14.90** मीटर।		

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड विवरण :–प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन0बी0सी0–2016 की मिक्सड ऑक्यूपेन्सी(रिटेल शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाऐं :–

1–**पहुँच मार्ग** :–भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 24.20 मीटर चौड़ा रोड़ प्रदर्शित की गयी है,जो मानकों के अनुसार है।

2–**प्रवेशद्वार** :–प्रस्तावित भवन में प्रवेश/निकासद्वार जिनकी चौडाई 06.00 मीटर मानक के अनुसार प्रस्तावित है।

3–**सैटबेक** :–प्रस्तावित भवन का सैटबेक/ओपन स्पेस निम्नवत है :–

ए0–अग्रभाग–	12.00 मीटर।	**बी0**–पृष्ठ भाग–	06.00 मीटर।
सी0–पार्श्व भाग प्रथम–	06.00 मीटर।	**डी0**–पार्श्व भाग द्वितीय–	06.00 मीटर।

संयुक्त निदेशक फा० स० लखनऊ

उपनिदेशक फा० स० परिक्षेत्र मेरठ

(मुकेश कुमार) मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद

(शत्रुघ्न) अग्नि शमन अधिकारी मुरादाबाद

प्रभात कुमार नगर नियोजक

Scanned by CamScanner

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भवन के सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है,तथा अग्निशमन वाहनों के कार्य हेतु भवन के चारों ओर 06.00 मीटर हार्ड सरफेस युक्त मोडरेबुल मार्ग प्रदर्शित है,जिसे सदैव अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा,जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नही होगी।

4–**निकास मार्ग** :–प्रश्नगत भवन के मानचित्रों में बेसमेण्ट से टैरेस तक 02.00 मीटर चौडाई की 04 अदद इण्टरनल स्टेयर केस प्रस्तावित है। बेसमेन्ट में 4.50 मीटर चौडाई का 01 अदद रैम्प प्राविधानित है। समस्त स्टेयरकेस एनक्लोजर सहित फायर चैक डोर एवं अन्य ओपनिंग 02 घण्टे तापरोधी क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी। फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5–**रिफ्यूज एरिया** :–प्रस्तावित भवन में रिफ्यूज एरिया एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

घ–**अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था** :–नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें प्राविधानित हैं।

1–**होजरील/डाउनकमर** :–प्रस्तावित भवन क प्रत्येक तल पर होजरील डाउनकमर लैण्डिंग वाल्व, मय होजरील एवं होज बाक्स, व साधारण ब्रान्च पाइप का प्राविधान मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

2–**टेरिस टैंक/पम्प** :–प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 20,000 लीटर क्षमता का एन0बी0सी0मानकों के अनुसार प्राविधान मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है,एवं टेरिस पम्प एन0बी0सी0मानको के अनुसार वॉच्छनीय नही है।

3–**भूमिगत टैंक** :–प्रस्तावित भवन में 200000 लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक का प्राविधान एन0बी0सी0मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

4–**पम्पस**:–प्रश्नगत भवन में भूमिगत् टैंक के पास क्षमता 2850 एल0पी0एम0 के 02 अदद विद्युत चालित मैन फायर पम्प, 2850 एल0पी0एम0 क्षमता का 01 अदद डीजल चालित फायर पम्प, एवं 02 अदद जौकी पम्प 180 एल0पी0एम0 क्षमता का प्राविधान मानकों के अनुसार स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है,जो स्वचालित पद्धति पर भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आई0एस0–3844–1989 के अनुसार वॉच्छनीय है।

5–**वेटराइजर** :–प्रस्तावित प्रश्नगत् भवन में वेटराइजर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है,जिसको पम्प रूम से भारतीय मानक ब्यूरो के बी0आइ0एस0–3844–1989 के अनुसार संयोजित किया जाना वॉच्छनीय है।

6–**यार्ड हाइड्रेण्टस** :–प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे रिंग लाइन यार्ड हाईड्रेण्टस होज केबिनेट एवं उसमे डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान एन0बी0सी0मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

7–**प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)** :–प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0–2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।

8–**आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम** :–सम्पूर्ण भवन मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

9–**मैनुवली आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम** :–सम्पूर्ण भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

10–**आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम** :–सम्पूर्ण भवन में आटोमेटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

11–**स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम** :–प्रस्तावित भवन में स्मोक एक्सट्रेक्शन सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12–**प्रेशराईजेशन प्रणाली**:–प्रस्तावित भवन में प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।

13–**एग्जिट साईनेज**:–प्रस्तावित भवन में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

14–**पी0ए0 सिस्टम**:–प्रस्तावित भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15–**कम्पार्टमेन्टेशन**:–प्रस्तावित भवन में कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0–2016 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

अध्यक्ष ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अपेक्षा की कि उपरोक्त के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाय :–

(1). प्रस्तुत मानचित्रों को भली–भॉतिदेखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं,अथवा नहीं ?

(2). प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादेशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप है,अथवा नहीं ?

संयुक्त निदेशक फा० स० लखनऊ

उप निदेशक फा० स०

(मुकेश कुमार) मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद

(शत्रुघ्न) अग्नि शमन अधिकारी मुरादाबाद

प्रभात कुमार नगर नियोजक

Scanned by CamScanner

उपरोक्त के क्रम में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मुरादाबाद द्वारा बैठक में यह प्रमाणित किया गया कि :–

(1)–प्रस्तुत मानचित्रों को भली–भाँति देखकर उसका अग्नि से सुरक्षा दृष्टिकोण सम्बन्धी परीक्षण कमैटी द्वारा कर लिया गया है। मानचित्रों में अग्निशमन सम्बन्धी सभी व्यवस्थायें मानकों के अनुरूप प्राविधानित हैं।

(2)–प्रस्ताव पूरी तरह से निर्धारित शासनादशों, भवन नियमावली नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरुप है।

अतः श्री गुरजीत सिंह चड्ड़ा व श्री इन्द्रजीत सिंह चड्ड़ा पुत्रगण श्री हरभजन सिंह चड्ड़ा, श्री हरभजन सिंह चड्ड़ा पुत्र श्री गुरूवचन सिंह चड्ड़ा एवं श्रीमति जसवीर कौर पत्नी श्री हरभजन सिंह चड्ढा निवासी–455,सिविल लाईन्स शहर,थाना सिविल लाईन,तहसील व जिला मुरादाबाद द्वारा मैसर्स अखिलेश कॉम्पलेक्स(मल्टीप्लैक्स)व्यवसायिक भवन प्लाट/खसरा नं0 मौहल्ला मानपुर नरायनपुर अलमारूफ आर्यनगर,(स्टेशन रोड़ बुद्धबाजार)तहसील व जिला मुरादाबाद(उ0प्र0)में प्रस्तावित मिक्सड ऑक्यूपेन्सी(रिटेल शॉप्स/रेस्टोरेन्ट/फूड कोर्ट/मॉल मल्टीप्लैक्स) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 यथा संशोधित 2016 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2016 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

दिनांक: 22.08.2019

सदस्य
(शत्रुघ्न सिंह)
अग्निशमन अधिकारी,
हैलट रोड़ मुरादाबाद।

सदस्य
(प्रभात कुमार)
नगर नियोजक,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,

संयोजक
(मुकेश कुमार)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुरादाबाद।

(अमन शर्मा)
उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/मुरादाबाद, परिक्षेत्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,फा0स0मु0,
उ0प्र0 लखनऊ।

अनुमोदन
अध्यक्ष

जिलाधिकारी,
मुरादाबाद।

Scanned by CamScanner